उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-8/2020/525/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91-टी०सी०-1
लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2020

शुद्धि-पत्र

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 76-क के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 24 मई, 2017 से सरकारी अधिसूचना संख्या- 05 / 2017 / 299 / 94-स्टा०नि०-2-2017-500(5)/91 टी०सी० दिनांक 24 मई, 2017 में किये गये संशोधन हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-06/2020/525/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91-टी०सी०-1, दिनांक 20-08-2020 के हिन्दी संस्करण की चौथी पंक्ति में उल्लिखित "सरकारी अधिसूचना संख्या-05/2017/299/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91 टी०सी०" के स्थान पर "सरकारी अधिसूचना संख्या-05/2017/299/94-स्टा०नि०-2-2017-500 (5)/91 टी०सी०" पढ़ा जाय|

2- अधिसूचना संख्या-06/2020/525/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91-टी०सी०-1 दिनांक 20-08-2020 को इसी सीमा तक संशोधित समझा जाय|

3- अधिसूचना दिनांक 20-08-2020 में शेष नियम व शर्ते यथावत रहेंगी|

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव |

संख्या-8/2020/525/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91-टी०सी०-1, दिनांक 21 अगस्त,2020

प्रतिलिपि शुद्धि-पत्र की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 21-08-2020 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें|

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-8/2020/525/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91-टी०सी०-1, दिनांक 21 अगस्त,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ |
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
3. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें |
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश |
5. समस्त अपर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश |
6. समस्त जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश |
7. समस्त सदस्य/न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश |
8. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश |
9. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ |
10. समस्त उपायुक्त स्टाम्प, मण्डल/वित्त, उत्तर प्रदेश |
11. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन |
12. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन |
13. भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन |
14. गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-06/2020/525/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91-टी०सी०-1
लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2020

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 76-क के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 24 मई, 2017 से सरकारी अधिसूचना संख्या- 05 / 2017 / 299 / 94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91 टी०सी० दिनांक 24 मई, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में शब्द "धारा 56 की उपधारा (1-क)" के स्थान पर शब्द "धारा 56 की उपधारा (1) एवं उपधारा (1-क)" रख दिए जायेंगे|

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव |

संख्या-06/2020/525/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91-टी०सी०-1, दिनांक 20 अगस्त,2020

प्रतिलिपि हिंदी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 20-08-2020 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें|

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-06/2020/525/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91-टी०सी०-1, दिनांक 20 अगस्त,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ |
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
3. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें |
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश |
5. समस्त अपर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश |
6. समस्त जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश |
7. समस्त सदस्य/न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश |
8. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश |
9. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ |
10. समस्त उपायुक्त स्टाम्प, मण्डल/वित्त, उत्तर प्रदेश |
11. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन |
12. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन |
13. भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन |
14. गार्ड फाइल |

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 06/2020/525/94 – Stamp Nibandhan-2-2020-500(5)/91-T.C.-1 dated, 20 August, 2020.

Notification

Order

No. 06/2020/525/94 – Stamp Nibandhan-2-2020-500(5)/91-T.C.-1
Lucknow, Dated 20 August, 2020

In exercise of the powers under clause (b) of section 76-A of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in the Government Notification No. 05/2017/299 /94-S.R.-2-2017-500 (5)/ 91 TC dated 24 May, 2017 from 24 May, 2017:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, for the words "sub-section (1-A) of section 56" the words “sub section (1) and (1-A) of section 56” shall be substituted.

By order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।